फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड़, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–द्वितीय तल, प्रेस्टिज टावर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत श्री नितेश कुमार खण्डेलवाल।

– प्रार्थी कंपनी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण लाल सोनी पुत्र श्री गोपी लाल सोनी, निवासी – वार्ड नम्बर 7, जेतपुरा, चावण्ड माता के पीछे, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) – 313327

एवं

पता – धैरव ज्वलैर्स, बड़ा दरवाजा, मन्दिर मार्ग, कांकरोली – 313324

एवं

निवासी – पट्टा नम्बर 50, जेतपुरा ग्राम पंचायत, राजसमन्द, (राजस्थान)–313327

– ऋणी

2. श्रीमती स्नेहलता सोनी पत्नी श्री लक्ष्मण लाल सोनी, निवासी – वार्ड नम्बर 7, जेतपुरा, चावण्ड माता के पीछे, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) – 313327

एवं

निवासी – पट्टा नम्बर 50, जेतपुरा ग्राम पंचायत, राजसमन्द, (राजस्थान)–313327

– सहऋणी

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 84/2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 12.10.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 025–02500352 के द्वारा 2,16,549/– दो लाख सोलह हजार पॉच सौ उनपचास रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। **बंधक सम्पत्ति का विवरण**	

न्यायालय जिला कलक्टर

:– श्री लक्ष्मण लाल सोनी पुत्र श्री गोपीलाल सोनी, निवासीः जेतपुरा जिला राजसमन्द की अचल संपति आवासीय प्लाट/पट्टा नंबर – 50, ग्राम पंचायत जेतपुरा, पं.स. आमेट, जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1058.50 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– रास्ता, उत्तर :– श्री रोशनलाल का मकान, दक्षिण :– श्री भंवरलाल सोनी का मकान। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05.04.2021 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण का खाता अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 2,42,589/– अक्षरे दो लाख बियालीस हजार पॉच सौ नवासी रूपये मात्र दिनांक 31.07.2021 तक शेष व देय हैं। दिनांक 01.08.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 26.07.2021 को अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाये गये। जिसकी प्राप्ति अप्रार्थीगण को दिनांक 05.08.2021 एवं 07.08.2021 को होने के बावजूद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 26.07.2021 को जारी किये गये थे। भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइनमेंट दिनांक 05.08.2021 एवं 07.08.2021 अनुसार नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार **बंधक सम्पति का विवरणः**– श्री लक्ष्मण लाल सोनी पुत्र श्री गोपीलाल सोनी, निवासीः जेतपुरा जिला राजसमन्द की अचल संपति आवासीय प्लाट/पट्टा नंबर – 50, ग्राम पंचायत जेतपुरा, पं.स. आमेट, जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1058.50 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– रास्ता, उत्तर :– श्री

न्यायालय जिला कलक्टर

रोशनलाल का मकान, दक्षिण :– श्री भंवरलाल सोनी का मकान।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)